न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 09/2018

उनवान

कचरा पिता श्री कुरीया भगोरा जाति भील निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) नारायण पिता श्री गोतम लबाना जाति लबाना निवासी टोरी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) तहसीलदार, तहसील गढी हाल अरथूना जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 09.3.2021

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि खाता संख्या 598 नया 550 पुराना के आराजी सर्वे नम्बर 1059 रकबा 0.15 हेक्टर, 3077\1 रकबा 0.32 हेक्टर और 3078\230 रकबा 0.15 हेक्टर कुल खेत नंग 03 कुल रकबा 0.62 हेक्टर भुमि वाके गांव अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाडा मे स्थित है। वादी अपनी उक्त कृषि भुमि पर कृषि कार्य कर निर्बाध रूप से उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। दिनांक 05/07/2017 को प्रातः करीब 8.00 बजे वादी व वादी की पत्नी श्रीमती ममता दोनो अपनी उक्त कृषि भुमि आराजी सर्वे नम्बर 1059 रकबा 0.15 हेक्टर एवं 3078/230 रकबा 0.15 हेक्टर पर खेती करने गये तो देखा की उक्त प्रतिवादी नम्बर 01 ने उक्त खेतो में अनाधिकृत रूप से ईटो का भट्टा लगा रखा है। जिस पर वादी एवं उसकी पत्नी ने प्रतिवादी नम्बर 01 से उक्त ईट के भट्टे को हटाने को कहा तो प्रतिवादी नम्बर 01 कहने लगा की मैने राजस्व कर्मचारीयों को रूपया देकर जमीन पर ईटो का भट्टा लगाया है। जिस कारण मैं यहा से ईटो का भट्टा नही हटाउंगा। तुम्हे जो करना है कर लो। तुम मेरा कुछ नही बिगाड सकते हो। जिस पर वादी ने कहा की जमीन मेरी है तो राजस्व कर्मचारीयो ने रूपया लेकर ईटो का भट्टा कैसे लगाने दिया। जिस पर प्रतिवादी नम्बर 01 वादी व वादी की पत्नी को मारने दौडा और कहने लगा की यहा से भाग जाओ वरना तुम दोनो को जिन्दा नही छोडूंगा। वादी व वादी की पत्नी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहा से चले आये। आज से करीब 08 रोज पुर्व वादी अपनी पत्नि के साथ अपने उक्त नम्बरान की कृषि भूमि पर गये तो देखा की प्रतिवादी नम्बर 01 ने अभी भी अनाधिकृत रूप से ईटो का भट्टा अवैद्य रूप से लगा रखा है। वादी रोकने गया तो प्रतिवादी नम्बर 01 वादी के साथ लडाई झगडा एवं मारपीट करने उतारू हो गया व कहने लगा की यह भुमि मेरी है इस पर मेरा ईटो को भट्टा लगा रहेगा। आज के बाद तुम यहा पर दिखाई दिये तो अच्छा नही रहेगा कहते हुए धमकिया देने लगे जान से मारने की धमकी देने लगा। प्रतिवादी का वादी की भूमि पर कोई हक और अधिकार नही है परन्तु बाहुबल के आधार पर जबरन अतिक्रमण कर ईटो का निर्माण करने आमादा है जिन्हे जरिये आज्ञापक आदेश हटाया जाना आवश्यक है। इस हेतु वाद अन्तर्गत धारा 183 रा.का.अ. के तहत पेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज [illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री पवन लुहार, [illegible] का वकालातनामा पेश होकर जवाब प्रस्तुत होने पर प्रकरण में निम्नानुसार त[illegible] कायम [illegible] गई:-

(1) आया वादी के स्वामित्व एंव आधिपत्य [illegible] 598 (नई) 550 (पुरानी) के कुल किता 03 रकबा 0.62 हे0 गांव अरथूना [illegible] [illegible]वादी

(2) आया उक्त वादग्रस्त भूमि में से सर्वे नम्बर 1059 रकबा 0.15 हे0, सर्वे नम्बर 3078/[illegible] रकबा 0.15 हे0 भूमि पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 5.7.2017 को अनाधिकृत रूप से ईटो का भट्टा लगा दिया। जिस पर वादी ने ईट भट्टे को हटाने के लिये कहा तो प्रतिवादी ने राजस्व कर्मचारियों का रूपये देकर ईटो का भट्टा लगाना एंव उसे नही हटाने का कहते हुऐ वादी को जान से मारने की धमकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:08 IST
Reason: Self Attested

Scanned by CamScanner

देने लगा। जिसे स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाने एंव वादी की खातेदारी भूमि पर गैरकानूनी रूप से लगाये गये ईट भट्टे को हटाने व वादी की उक्त भूमि पर पुनः अतिक्रमण नही करने पाबन्द किया जावें।

(3) आया वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का राजस्व कर्मचारियों से मिलकर फर्जी आवंटन करवाया गया है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी कोई काब्जा काश्त नही रहा हैं। तथा वादी का कब्जा नही होने के कारण वादी को खातेदारी हक प्रदान नही किया गया है। वादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने एंव बेदखल कराने का पात्र नही है। वादी का वाद निरस्त फरमावें। —: वादी

(4) अनुतोषः— —: प्रतिवादी

पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाकर वादी अभिभाषक को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वादी की साक्ष्य पेश नही की जाने से साक्ष्य वादी बन्दी की जाकर पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादी अभिभाषक को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी की साक्ष्य पेश नही की जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गई। प्रकरण में कायम की गई तनकियात निम्नानुसार निर्णित की जाती है:—

तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादी का है, वादी द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत खाता संख्या 598 (नई) 550 (पुरानी) संवत 2071 से 2074 की जमाबन्दी अनुसार गैर खातेदार दर्ज होने से उक्त तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 को सिद्ध करने का भार वादी का है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन में गैर खातेदारी भूमि की जमाबन्दी के अलावा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है, जिससे यह साबित हो सके की वादी की गैर खातेदारी भूमि पर वादी स्वंय का कभी कब्जा रहा हो। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का है, प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया हैं कि वादग्रस्त भूमि पर कभी भी वादी का कब्जा नही होकर प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि पर भूमि आवंटन से पूर्व का कब्जा रहा है। तथा वादी के नाम दर्ज भूमि गैर खातेदारी में दर्ज होकर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान नही हुऐ है। अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

प्रकरण में बकुलाय की बहस पर मंनन् करने एंव वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, खाता संख्या 285 (नई) 244 (पुरानी) संवत 2071 से 2074 की जमाबन्दी तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब एंव भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि वादी के नाम दर्ज गैर खातेदारी भूमि पर भूमि आवंटन से आदिनांक तक वादी का कब्जा नही रहा है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.08.12 16:10:06 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

वादी की ओर से प्रस्तत वाद वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिकी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09-3-2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 09/2018

उनवान

कचरा पिता श्री कुरीया भगोरा जाति भील निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाडा।

— वादी

बनाम

(1) नारायण पिता श्री गोतम लबाना जाति लबाना निवासी टोरी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) तहसीलदार, तहसील गढी हाल अरथूना जिला बांसवाडा।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 09.3.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 09.3.2021 को जारी की गई।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner